

संपादकीय

बांग्लादेश का इतिहास

बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन और उनके भारत में शरण लेने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी उसकी अगली कढ़ी है। दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील की निर्मम हत्या असहिष्णुता की पराकाष्ठा को ही दर्शाती है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वहाँ अल्पसंख्यक किन भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर हमले तक किए गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पैरोकार दास को कथित रूप से बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने तथा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने के कारण बांग्लादेश और सीमा पार भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल, इस अशांति का संदर्भ लगातार अल्पसंख्यक उत्पीड़न के पैटर्न में निहित है। बांग्लादेश के सौंदर्यवानिक आश्वासन के बावजूद वहाँ के हिंदू, जो कि आबादी का लगभग नौ फीसदी है, लगातार हिंसा, बर्बरता और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घरें व मंदिरों पर भीड़ पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। जिसमें हसीना सरकार के पतन के बाद खासी तेजी आई है। आधिकारिक रूप से इस्लामिक धर्म वाले इस देश में यह स्थिति अल्पसंख्यकों की व्यापक असुरक्षा को दर्शाती है। अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाये जाने के बाद विश्वास बहाली की जिम्मेदारी कार्यवाहक सरकार पर है। जिसका दायित्व बनता है कि उत्पीड़न के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण के जरिये यथाशीघ्र कार्रवाई करे। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता तो अशांति के बढ़ने का खतरा बना रहेगा। मौजूदा घटनाचक्र से बांग्लादेश की प्रगतिशील लोकतंत्र की छवि कमज़ोर हुई है। निस्संदेह, वहाँ सभी अल्पसंख्यकों के लिये शांति और

मैसाहुसेट्स की अदालत ने शादी की अंगूठियां लौटने संबंधी दशकों पुराने कानून को पलट दिया

पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन कई लोगों के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए बड़ी और महंगी हीरे की अंगूठी से बेहतर कुछ नहीं है। अपने साथी को बहुत ज़्यादा पैसे वाली कोई चीज उपहार में देना प्रतिबद्धता की निशानी के तौर पर देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, ऐसा तोहफा पत्नी के लिए एक सहारा होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी या वह उसे छोड़ देता था। लेकिन, अगर सगाई टूट जाती है तो क्या होता है? दशकों पुराने उस कानून को पलटते हुए, जिसमें कहा गया था कि सगाई टूटने के लिए जिम्मेदार साथी को अंगूठी नहीं मिलनी चाहिए, मैसाचुसेट्स की एक अदालत ने हाल ही में आदेश दिया कि सगाई की अंगूठी खरीदार को वापस करनी होगी, चाहे अलगाव के पीछे कोई भी हो। शायद यह आखिरकार रिश्ते में प्यार और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के विचार को महंगी अंगूठी के तोहफे से अलग कर देगा। उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण का विरोध कर रही भीड़ की सुरक्षाकर्मियों से झड़प में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई लोगों द्वायल हो गए। सर्वेक्षण साथ आए कुछ प्रदर्शनकारियों को भड़ा जय श्री राम का नारायण स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट किया। इसके अलावा पास चाकू और पिस्टल रोकने में पुलिस विफल रहा। पता चलता है कि हिंसा की थी (शब्दकाऊ नारे 3 भूमिका पर संभल व नवंबर)। मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश द्वारा भय फैलाने और उत्तर प्रदेश के वाले भाषणों ने राजनीति का खराब कर दिया है। तेलंगाना महोदय कृष्ण सिविल कोर्ट ने संघर्ष मस्जिद का सर्वेक्षण कर दिया है। यह उन घटनाओं का आधारित है, जिनमें दाला देवी की हत्या है कि मुगल बादशाह के हस्तों में हरिहर मंदिर को तोड़ा गया था। इससे पूजा-पूजा (प्रावधान) अधिनियम की क्रियान्वयन को लेकर बहुत बड़ी है, जिसमें पूजा-पूजा का वैधानिक अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों द्वारा दिया गया एक अद्वितीय घटना है।

एन आयोग के लोगों ने डिकाने के लिए लगाया और अख्ती से काम किया, दंगाइयों के गोल थे, जिन्हें ल रही। इससे ता सुनियोजित हो और पुलिस की नजर, 26 जी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार नफरत फैलाने वाय में माहौल बनाय। काजीपेट, भाल ही में एक नल में जामा रन के आदेश आविकाओं पर वा किया गया बाबर ने 1529 डुकर मस्जिद का स्थल विशेष रूप से चिंताएं पैदा करा स्थलों के द सा ही बनाए गया है जैसा को भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय था। रामजन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ऐसी याचिकाएं आम हो गई हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में बदलाव को रोकना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखना चाहिए। अंशु भारती, बेगुसराय, बिहार महोदय – संभल में हुई हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मनमानी जिम्मेदार है, जिसने दंगाइयों को खुली छूट दे दी। इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मुर्तजा अहमद, कलकत्ता महोदय – संभल मस्जिद में हाल ही में हुई हिंसा के कारण भारत का सांप्रदायिक सद्व्याव का दावा सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसी घटनाएं सामाजिक एकता को खतरे में डालती हैं। राजनेताओं को गलत सूचनाओं से निपटने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। शायक मोइन, मुजफ्फरपुर महोदय कृ संभल में एक मस्जिद पर विवाद 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नतीजा है, जिसमें कहा गया है कि "धार्मिक स्थल की प्रकृति का पता लगाना"

The image shows a close-up of two hands, one darker-skinned and one lighter-skinned, holding a small, thin metal ring between them. The hands are positioned as if presenting or examining the ring. The background is blurred, suggesting an indoor setting.

के कानून के तहत प्रतिबधित मस्जिदों को निशाना बनाना उन्हें कथित तौर पर मुगल द्वारा ध्वस्त किए गए पुराने अंदर होने का दावा करना नानों को डराने के लिए भारतीय पार्टी और साथीय स्वयंसेवकों आजमाई हुई रणनीति है। से, कानून प्रवर्तन और लिका ने अल्पसंख्यक समुदाय ड़ाओं पर आंखें मूँद ली हैं। अयमान अनवर अली, ता असफल प्रयास महोदय कृ, अजरबैजान में आयोजित यु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन के दलों का 29वां न निराशाजनक रहा यह न वैश्विक तापमान वृद्धि को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देने में विफल लिक विकासशील देशों की ओं को भी पूरा करने में रहा, जो महामारी और चल द्वों के कारण आर्थिक मंदी रने के लिए संघर्ष कर रहे ओपी 29 कैसे विकसित देशों विकासशील देशों को बराबरी ब सकता है और जलवायु रन से लड़ने के लिए कठोर उठाने की बात आने पर

विकासशील देशों से भारी काम करने की उम्मीद कर सकता है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ्यात डोनाल्ड ट्रम्प के संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता में वापस आने के साथ, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास और भी पटरी से उत्तर जाएंगे। बाल गोविंद, नोएडा महोदय कृ शजलवायु वित्त सीओपीश के रूप में बिल किया गया, हाल ही में बाकू में आयोजित सम्मेलन एक समझौते को अपनाने के साथ संपन्न हुआ, जो विकासशील देशों को 2035 तक सालाना 300 बिलियन डॉलर की जलवायु सहायता प्रदान करेगा। यह विकासशील देशों द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक 1.3 ट्रिलियन डॉलर से बहुत कम है। निराशाजनक रूप से, 2009 म 15 में निर्धारित 2020 तक +100 बिलियन का वित्तपोषण करने का लक्ष्य विकसित देशों को पूरा करने में बहुत लंबा समय लगा। 2035 तक वादा किया गया +300 बिलियन का अनुदान अधिक निवेश आकर्षित करने और जलवायु वित्त को +1.3 ट्रिलियन के आंकड़े की ओर ले जाने के लिए एक बीज निधि हो सकता है, लेकिन यह राशि ज्यादातर ऋण के रूप में आएगी, जिससे विकासशील देश अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। विकासशील देशों पर असंगत बोझ डालना जी के लिए अच्छा नहीं है।

कनाडा एवं अमेरिका से भारत में रिवर्स ब्रेन इंजन की सम्भावना बढ़ रही है

प्रह्लाद संबोधन
वैश्विक स्तर पर

इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही हैं, जिससे विशेष रूप से कनाडा एवं अमेरिका से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ती जा रही है। कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी आदोलन के चलते वहां निवासरत भारतीयों एवं मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं एवं भारतीयों एवं मंदिरों पर हो रहे इन हमलों पर लगाम लगाने में कनाडा की वर्तमान सरकार असफल सिद्ध हो रही है एवं इन हमलों को, राजनैतिक कारणों के चलते, रोकने की इच्छा शक्ति का अभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते भारत एवं कनाडा के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रिश्तों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि भारत ने कनाडा में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम कर दिया है तथा भारत ने कनाडा को निर्देशित किया था कि वह भी भारत में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम करे। भारत एवं कनाडा चुनाव जीतने के पश्चात वहां पर अवैध रूप से रह रहे अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकाले जाने की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या लगभग नगण्य सी ही है परंतु ट्रम्प प्रशासन द्वारा अब वीजा, एच1बी सहित, जारी करने वाले नियमों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले कुल एच1बी वीजा में से 60 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीय मूल के नागरिकों को जारी किए जाते हैं। यदि इस संख्या में भारी कमी दृष्टिगोचर होती है तो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को, उनकी पढ़ाई सम्पन्न करने के पश्चात यदि एच1बी वीजा जारी नहीं होता है तो उन्हें भारत वापिस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका से भी भारतीयों का रिवर्स ब्रेन ड्रेन दिखाई पड़ सकता है। भारत आज पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, अतः भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास एवं विदेशी व्यापार की वृद्धि दृष्टिगोचर हुआ है एवं केंद्र में एक मजबूत सरकार, उद्योग एवं व्यापार को भारत में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार के मित्रवत आर्थिक को विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत में आटोमोबाइल उद्योग, मोबाइल उद्योग एवं फार्मा उद्योग इसके जीते जागते जबकि इसके ठीक विपरीत भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन से एवं संयुक्त परिवार की जीवनशैली के चलते भारतीय



क बाच आज कूटनालातक रिश्ते आज तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। साथ ही, कनाडा में आज सुरक्षा की दृष्टि से भी स्थितियां तेजी से बदल रही हैं तथा इसका कनाडा के आर्थिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके चलते भारतीय आज कनाडा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भारत की ओर रुख विकास के कारण सूचना प्रायोगिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, जिसकी क्षेत्रों, वाहन विनियोग, उद्योग, फार्मा उद्योग, चिप विनियोग, स्टार्टअप, आदि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवधियां निर्मित हो रहे हैं और भारत इन क्षेत्रों में उच्च टेलेंट आवश्यकता भी है। यदि कनाडा एवं अमेरिका से उच्च शिक्षा प्र

पाना, जो स्वास्थ्य का ठाक बनाए रखने में सहायक होता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वरना, महानगरीय इलाकों में तो आज सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। विभिन्न देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं टेलेटेड भारतीय जो भारत वापिस लौटे हैं, उन्होंने अपने नए प्रारम्भ किए गए स्टार्ट अप के कार्यालय दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में एवं श्रमिक बृद्धि हुई में उत्पादन गई है। इस समय देशों में उत्पादन है। केवल देशों में उत्पादन रूप से विश्व व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ावा देता है।

म लागत म भी भारा मात्रा म ई है जिसके कारण इन देशों दान लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। हाल ही के समय में चीन भी मस्या से ग्रसित पाया जा रहा था। भल भारत एवं दक्षिणी अफ्रीकी ही श्रम लागत तुलनात्मक बहुत कम है। इसके कारण की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विनिर्माण इकाईयों की स्थापना प्रगति व्यतीत करना है न कि अपने आप को मानसिक वीमारियों से ग्रसित कर देना। इन्हीं कारणों के चलते आज विश्व के कई देशों के नागरिक हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाने की ओर लालायित दिखाई दे रहे हैं और वे भारत में बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अतः विकसित देशों से भारत में विवर्स ब्रेन ड्रेन आने वाले कल की सच्चाई है।

उच्च न्यायपालिका के द्वारा कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून, 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खघरिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश

शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। टकराने से सड़क पर गिरी टहनियां मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए शक्ता कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। यह फैसला भारतीय

के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने इका अधिकार दिया है। काम पूरा न होने से लोग परेशान भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है,

हैजो समानता सुनिश्चित करते हुए विविधता की रक्षा करता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में, इसके प्रावधानों से किसी भी विचलन की अनुमति

है। आइए, इस एक उदाहरण के जारी स्थित है। नान लालिया, जो प्रभास से चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई अचानक आकर ही आपको गालियां देने लगता है। अभी तक आप शांत थे। गालियां सुनने के बाद आपको गुस्सा आ गया। अब आपके अंदर की दुनिया क्या पहली जैसी ही शांत है? नहीं न वह बदल गई है और इस दुनिया को बनाने का काम मात्र कुछ शब्दों ने ही तो किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जो भी सुनते और बोलते हैं, उनका बहुत गहरा और सीधा संबंध हमारे विचारों और हमारी भावनाओं

The image shows the exterior of the Supreme Court of India. The building is a prominent white structure with a large, ornate dome at the top. A smaller flagpole with the Indian national flag stands to the right of the main entrance. The building is set against a clear blue sky and is partially obscured by lush green trees in the foreground.

जुड़े और इसके प्रावधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोई भी कानून, विनियमन या सामाजिक पूबाग्रह संविधान के प्रावृद्धानों को खत्म नहीं कर सकता है। यह निर्णय उस कानूनी ढांचे को मजबूत करता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक समुदाय काम कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनहें ऐसे संस्थान बनाने की स्वतंत्रता है जो उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता ही भारत के लोकतंत्र शक्ति विभूत है। ऐसे देश में जहां कई धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदाय सह अस्तित्व में हैं संविधान एक एकीकृत दृष्टिकोण के काम में कार्य करता

नहीं देगी। ऐसा करके न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संविधानिक अधिकारों को कमज़ोर या समझोता नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि कैसे संविधान को समुदायों को अपने भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाया किया गया है। संविधान केवल अधिकारों की रक्षा नहीं करता, यह सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को श्रोत्साहित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से, इन अधिकारों की पुष्टि शकरके अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाया है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति और न्याय के एक शक्तिशाली साधन के रूप में संविधान की भूमिका को मजबूत किया जाता है।

से होता है। और मैं आपसे पूछूँ कि आप फिलहाल कौन सा काम कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हर छात्र और उनके माता-पिता इस काम को शपडाई करनाश ही कहते हैं। लेकिन आपके लिए मेरी चिंता यह है कि आप शपडाई कर रहे हैं या आप अध्ययन कर रहे हैं। आप जब अपने कोर्स की किताबों के साथ होते हैं, तब आप उसे पढ़ रहे होते हैं, या उसकी स्टडी कर रहे होते हैं? आपके इस उत्तर से आपके अंतर्मन की रिथित जुड़ी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति उपन्यास पढ़ रहा है, लेकिन जब उसी उपन्यास को हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अपने सिलेबस के कारण पढ़ता है, तो इन दोनों के पढ़ने के तरीके में बहुत द्य अंतर आ जाएगा। वह व्यक्ति उस उपन्यास को मनोरंजन के लिए पढ़ रहा है। उसे न तो उपन्यास की घटनाओं को याद रखने की ज़रूरत है और न ही उसे उसकी समीक्षा करनी है। लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को उस उपन्यास के प्रति गंभीर होकर ध्यान से पढ़ना होगा और उसे समझना भी होगा। इसी तरह जब आप अपनी पढ़ाई गंभीर होकर करने लगते हैं, तब वह पढ़ाई अपने आप ही अध्ययन बन जाती है। बदलाव इसलिए मेरे इस लेख का आपके लिए मूल सूत्र यह है कि आप अपने दिमाग मैं इस वाक्य को बैठा लें कि शर्मे पढ़ाई नहीं अध्ययन कर रहा हूँ। आपका यह वाक्य आपके अंदर एक ऐसी दुनिया की रचना कर देगा, जिसकी ग्रहण करने की क्षमता पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। इससे स्मरण शक्ति में भी इजाफा हो जाएगा। पढ़ाई को बोझ न समझेंगे।

